राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

(सूचना प्रकोष्ठ)

सूचना का अधिकार

क्रमांक :– RTI Cell/ 312   दिनांक :– 7/6/11

परिपत्र

राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के प्रमुख शासन सचिव द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक :– प 22(16)प्रसु/सू.अ.प्र./2010 दिनांक 16/12/2010 की छायाप्रति संलग्न है। "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी पर सूचना आयोग द्वारा शास्ति अधिरोपित की जाती है तब की स्थिति में वह राशि राज्य लोक सूचना अधिकारी के वेतन में से कटौती कर जमा कराये जाने के बारे में निर्देश है।

राजस्थान आवासन मण्डल लोक प्राधिकरण द्वारा पूर्व में उक्त संबंध में परिपत्र क्रमांक :– 876 दिनांक 17/12/09, क्रमांक :– 802 दिनांक 21/10/2010 एवं क्रमांक :– 1168 दिनांक 02/02/2011 जारी कर समस्त लोक सूचना अधिकारी/प्राधिकारी को सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति राशि का भुगतान संबंधित P.I.O. द्वारा वहन करने के निर्देश है।

राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा जारी उक्त परिपत्र की मंशा यही है कि अपील/परिवाद में सूचना आयोग द्वारा जो शास्ति राशि अधिरोपित की जाती है। वह राज्य लोक सूचना अधिकारी के वेतन से कटौती की जाकर जमा करवाई जाये। इस परिपत्र की छायाप्रति पुनः संलग्न कर लेख है कि मण्डल कोष से सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति राशि का भुगतान नहीं किया जावें। समस्त आहरण–वितरण अधिकारी (D.D.O.'s) इस हेतु सजग रहें।

(पवन कुमार गोयाल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, रा. आ. म. (मु.), जयपुर।
2. निजी सचिव–आवासन आयुक्त/मुख्य अभियंता, रा. आ. म. (मु.), जयपुर।
3. सचिव/वि. स. एवं मुख्य लेखाधिकारी/मुख्य संपदा प्रबंधक/निदेशक (विधि), अति. मुख्य नगर नियोजक/विशेषाधिकारी (भूमि)/सहायक निदेशक (अभिलेख)/उप सचिव/जनसंपर्क अधिकारी/उप आवासन आयुक्त (Q.C.) /संपदा प्रबंधक (भूमि) रा. आ. म. (मु.), जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता–प्रथम, द्वितीय, तृतीय व (P&mM), रा. आ म. (मु.), जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त–......................, रा. आ. म. ....
6. तकनीकी सहायक, वृत्त–......................, रा. आ. म. ....
7. आवासीय अभियंता, खण्ड–......................, रा. आ. म. ....
8. परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) उपखण्ड–......................, रा. आ. म. ....
9. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा. आ. म. (मु.), जयपुर :– मण्डल की वेबसाइट पर उक्त आदेश को Uploaded करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

सचिव 9/6

ACP(PM) 305 10.6.11

ACP. M. upload on web. Do the needful

10/6/11

–: सूचना प्रकोष्ठ :–
जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर–302005
पी.बी.एक्स. 2740812, 2740113, 2740581, EXT.215
सूचना प्रकोष्ठ दूरभाष–2743627
ई–मेल info@rhbonline.com वेबसाइट www.rhbonline.com

सूचना का अधिकार/अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

क्रमांक प 22(16)प्रसु/सू.अ.प्र./2010 जयपुर,दिनांक:- 16.12.10

परिपत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) में जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चयच करते समय यथास्थिति राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नही दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब से आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रूपए की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि, ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रूपए से कम नहीं होगी यह प्रावधान किया हुआ है। परन्तु संबंधित अधिकारी के विरूद्व शास्ति आरोपित करने से पूर्व उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जावें।

यह प्रसंज्ञान में आया है कि अपील/परिवादों मे माननीय सूचना आयोग द्वारा जो आर्थिक शास्ति आरोपित की जाती है वह राज्य लोक सूचना अधिकारी पर आरोपित की जाती है। किन्तु उक्त शास्ति आरोपित राशि को संबंधित विभाग द्वारा भुगतान किया जाता है। अतः यह सुनिश्चित किया जावें कि माननीय आयोग द्वारा आरोपित राशि विभाग/निगम/लोक प्राधिकारणों के संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी के वेतन से कटौती की जाकर जमा कराई जावें।

(डॉ0 अशोक सिंघवी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-
1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास एवं विकास आयुक्त एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी शासन सचिवालय जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिवगणो को भेजकर निवेदन है कि अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश अपने स्तर से जारी करें।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स/पुलिस अधीक्षक को भेजकर निवेदन है कि अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश अपने स्तर से जारी करें।
7. समस्त निगम/बोर्ड/स्वतशासी संस्थाऐं को भेजकर निवेदन है कि अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश अपने स्तर से जारी करें।
8. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, ओटीएस, जेएलएन मार्ग जयपुर।
9. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर को भेजकर लेख है कि इस परिपत्र को प्रदेश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने का श्रम करें।
10. प्रभारी अधिकारी (आयोजना) ओटीएस, जेएलएन मार्ग जयपुर।
11. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग को भेजकर लेख है कि परिपत्र को वेबसाइट पर अपडेट (अद्यतन) कराने का कष्ट करावें।
12. रक्षित पत्रावली।

16.12
शासन उप सचिव